

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-3/भौगकृ/भौतिक/स्थानान्तरण/2019 दिनांक-29.09.2019 के तहत श्री नवल किशोर गुप्ता, व्याख्याता (भौतिक विज्ञान) राउमावि द्वारिकापुरी (जयपुर) का स्थानान्तरण राउमावि बड़ाखेड़ा (जवाजा) अजमेर किया गया। श्री नवल किशोर गुप्ता ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 4560/2019 श्री नवल किशोर गुप्ता बनाम राज. सरकार एवं अन्य दायर की गई।


अपील संख्या 4560/2019 में माननीय अपील अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.12.19 द्वारा अपीलार्थी श्री नवल किशोर गुप्ता को प्रत्यर्था विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी वेदना व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में इसे विधि अनुसार अपीलार्थी से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर इसे एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) द्वारा निर्धारित समय सीमा में निस्तारित किये जाने संबंधी आदेश दिए।

अपील अधिकरण निर्णय के क्रम में अपीलार्थी श्री नवल किशोर गुप्ता द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी माताजी के देखभाल एवं पत्नी के अक्सर बीमार रहने के आधार पर अपना पदस्थापन 1. राउमावि भोजलावा (जयपुर) 2. राउमावि भटेरी (बस्सी) जयपुर 3. राबाउमावि अमरसर (शाहपुरा) जयपुर की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.12.2019 एवं राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। यह विधि सुस्थापित सिद्धान्त है कि इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकार पूर्वक नहीं की जा सकती। अपीलार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपीलार्थी द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण इनका अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। अतः इन्हें निर्देशित किया जाता है कि ये विभागीय आदेश दिनांक 29.09.2019 की अनुपालना में तत्काल कार्यमुक्त हो कर अपने स्थानान्तरित स्थान राउमावि बड़ाखेड़ा (जवाजा) अजमेर में व्याख्याता के पद पर दिनांक: 23/12/2019 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करें। अन्यथा इनके विरुद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-17 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

सभी संबंधित पक्षकार सूचित हो।



(हिमांशु गुप्ता)
आई.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/सी-3/भौगकृ/अभ्यावेदन/नवल किशोर गुप्ता/को.के/18-19 दिनांक: 20.12.2019

➤ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, जवाजा (अजमेर) को निर्देशित किया जाता है कि वे श्री नवल किशोर गुप्ता के निर्धारित तिथि तक स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किये जाने की स्थिति में उनके विरुद्ध सीसीए-17 में विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव इस कार्यालय के विभागीय जाँच अनुभाग-प्रथम को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
5. जि.शि.अ. (माध्य-विधि) जोधपुर।
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित प्राधानाचार्य राउमावि बड़ाखेड़ा (जवाजा) अजमेर/ द्वारिकापुरी (जयपुर)
9. कार्मिक श्री नवल किशोर गुप्ता व्याख्याता (भौतिक विज्ञान) राउमावि बड़ाखेड़ा (जवाजा) अजमेर।
10. गार्ड पंजिका।


संयुक्त-निदेशक (कार्मिक)